तारीख हुक्म	**न्यायालय–विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, सीकर** **राजस्थान राज्य बनाम रामू आदि** **विशिष्ट प्रकरण संख्या 253/2023**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.06.2026	1. श्री सांवरमल बिजारणियां, विशिष्ट लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त रामू वरजमानत मय अधिवक्ता श्री फैसल खान उपस्थित। अभियुक्त शाहरूख अनुपस्थित की हाजरी माफी आवेदन जरिये अधिवक्ता श्री ताराचन्द यादव पेश हुआ जो आज के लिए स्वीकार किया जाता है। 2. आज गवाह अशोक (संख्या 12) द्वारा उसके बयान जरिये विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग दर्ज किए जाने का रिक्वेस्ट फॉर्म प्राप्त हुआ। उक्त गवाह ने इस प्रकरण में अपनी साक्ष्य रिमोट प्वाईंट जिला एवं सेशन न्यायालय, दौसा से विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से लेखबद्व करवाने का निवेदन किया है। लोक अभियोजक व अधिवक्ता अभियुक्त को सुना गया। सभी पक्ष साक्षी का बयान जरिये विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग से लेखबद्व करवाने पर सहमत है। रिमोट प्वाईंट जिला न्यायालय दौसा में वी.सी. हेतु स्लॉट बुक किया गया। 3. साक्षी अशोक वी.सी. रिमोट प्वाईंट जिला न्यायालय दौसा पर उपस्थित है। रिमोट प्वाईंट कॉर्डिनेटर द्वारा उक्त गवाह को शिनाख्त किया गया है। नियमानुसार साक्षी पी.डब्लू 10 अशोक के कथन एन.आई.सी. मीटिग (वी.सी.) के जरिये लेखबद्व किए गए। 4. बयान की ट्रांसक्रिप्ट नॉन एडिटेबल फोरमेट में स्केन कर न्यायालय की अधिकारिक ईमेल आई.डी. से रिमोट प्वाईंट को उनकी अधिकारिक ईमेल आई.डी. पर भेजी गई जहां से साक्षी के हस्ताक्षर व रिमोट प्वाईंट कॉर्डिनेटर के प्रतिहस्ताक्षर के साथ इसकी सॉफ्ट कॉपी पुनः मेल से प्राप्त हुई जिस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर किए जाकर पत्रावली पर रखे गए। बयान की हार्ड कॉपी डाक से प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। 5. गवाह पी.डब्लू 11 पवन कुमार के बयान लेखबद्व किए गए। साक्ष्य के दौरान श्रीमती ममता हैड कानि. 960 पुलिस थाना कोतवाली सीकर ने पांच शील्डशुदा पैकेट प्रस्तुत किए जिनको बयान के पश्चात वाद प्राप्ति रसीद श्रीमती ममता हैड कानि. को सुपुर्द किए गए। 6. विशिष्ट लोक अभियोजक ने साक्ष्य अभियोजन समाप्त की। 7. पत्रावली बयान मुलजिम हेतु दिनांक 15.06.2026 को पेश हो। 13-6-26 विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रकरण सीकर (राज.)	पांच शील्ड शुदा पैकेट प्राप्त किये गये 2/44